अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी–अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22 / 2022	14.07.2022	20.04.2023

ग्राम पंचायत खातौली जरिये सरपंच पार्वतीबाई पत्नि रामस्वरूप बैरवा निवासी खातौली जिला कोटा राज0

प्रार्थी

::–बनाम–::

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. कार्यालय उपवनसंरक्षक वन मण्डल कोटा जिला कोटा राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

उपस्थित

1 श्री विकास पारेता एडवोकेट प्रार्थी की और से

2 स्वयं नायब तहसीलदार खातौली

3 श्री प्रधुम्न शर्मा एडवोकेट अप्रार्थी क्रम 02 की और से

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 मे खसरा संख्या 787 रकबा 11.66 हैक्टेयर भूमि स्थित है इसमे से खसरा संख्या 787 / 1372 रकबा 8.00 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। शेष भूमि खसरा संख्या 787 रकबा 3.46 हैक्टेयर भूमि सिवायचक रिकॉर्ड दर्ज है। इसमें से 0.46 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत खातौली के नाम वर्ष 2011 मे आवटिंत की गई और जमाबंदी संख्या 2066–69 के अनुसार नामान्तरण संख्या 742 दिनांक 28.06.2011 से खसरा संख्या 787 रकबा 3.46 हैक्टेयर मे से 0.46 हैक्टेयर, भूमि ग्राम पंचायत खातौली गैर मुमकिन आबादी के

उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा

.....2.....

नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। ग्राम पंचायत खातौली के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के खसरा संख्या 1358/787 बनाये गयें। इस खसरा संख्या 1358/87 ग्राम पंचायत की भूमि पर बस स्टैण्ड , भू अभिलेख भवन, व कृषि सेवा केन्द्र बनाये गये जो वर्तमान में स्थापित है इसी प्रकार खसरा संख्या 787 रकबा 3.46 हैक्टेयर में से शेष भूमि 2.66 हैक्टेयर ग्राम पंचायत खातौली के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसे आबादी विस्तार हेतु दिनांक 13.10.2017 में ग्राम पंचायत खातौली द्वारा आवंटित करवाई गई है, जिसमें आबादी बसी हुई है, जिसमें हाट बाजार, राजीव गॉधी सेवा केन्द्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी अवस्थित है तथा सी.सी सडक निर्मित है।

यह कि इस प्रकार खसरा संख्या 787 रकबा 11.66 हैक्टेयर में से 787/1372 रकबा 8.00 हैक्टेयर वन विभाग व खसरा संख्या 787 रकबा 2.66 हैक्टेयर ग्राम पंचायत खातौली, खसरा संख्या 1358/787 रकबा ग्राम पंचायत खातौली के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसे सही ढंग से वर्तमान में नक्शा तरमीम नही किया गया है। पूर्व में खसरा संख्या 787 ग्राम पंचायत की भूमि के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 787/1372 की वन विभाग की भूमि में दिनांक 12.04.2016 के राजस्व नक्शे में लाईन डालकर अलग–अलग किया हुआ है। लेकिन वर्ष 2016 के बाद सेग्रीकेशन का कार्य किया गया और राजस्व व लठ्ठे को सेगीकेशन शीटो पर अंकन किया गया इस दौरान अप्रार्थी व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों पटवारी व कानूनगो द्वारा संवहन से त्रुटिवश व जानबुझकर कार्य में लापरवाही करते हुये सेग्रीगेशन शीटों पर गलत तरीके से राजस्व नक्शे को तरमीम किया गया और पूर्व के राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 1358/787 ग्राम पंचायत की भूमि व खसरा संख्या 787/1372 वन विभाग की भूमि के बीच की लाईन को वाइटनर से या अन्य तरीके से मिटा कर लाईन को हटा दिया गया जिससे ग्राम पंचायत के नाम दर्ज खसरा संख्या 1358/787 वन विभाग जंगलात के खसरा संख्या 787/1372 में दर्शित हो गया और सेग्रीकेशन के दौरान कार्य में लापरवाही करते हुये खसरा संख्या 1358/787 को अन्यत्र दर्शाया गया और इस प्रकार नक्शे में फेरबदल कर दिया गया इस प्रकार जानबूझकर खसरा संख्या 787 को गलत तरीके से सेग्रीग्रेशन के दौरान वर्ष 2016 के बाद किया गया और तरमीम आवंटित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य व आबादी की समीपस्थ निर्माण को ध्यान में रखकर नहीं किया गया इसलिये माननीय न्यायालय की सहायता से सेग्रीग्रेशन के दौरान राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को सही किया जाना अति आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

3 यह कि प्रार्थी ने तहसीलदार पीपल्दा व श्रीमान के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन अभी तक कोई नक्शा दुरूस्त नहीं किया गया।

4 यह कि प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

5 यह कि प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेग्रीग्रेशन के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व नक्शा पूर्वानुसार तरमीम किया जावे तथा पूर्व में खसरा संख्या खसरा संख्या 1358/787 व खसरा संख्या खसरा संख्या 787/1372 के मध्य डली हुई लाईन को राजस्व नक्शे में वापस डालकर दिनांक 12.04.2016 के राजस्व नक्शे अनुसार ग्राम पंचायत खातौली की भूमि को वन विभाग से पृथक किया जावे तद्नानुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा दुरूस्त किया जावे व अमल दरामद किया जावे।

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी क्रम 01 नायब तहसीलदार खातौली द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ::–

(1)– सेटलमेंट जमाबंदी सं. 2041–60 ग्राम खातौली खसरा संख्या 787 रकबा 11.66 हैक्टेयर किस्म गै.मु दरड़ा भूमि सिवायचक दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर में से दिनांक 21.12.2000 को खसरा नम्बर 787/1372 रकबा 8.00 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हुई, दिनांक 18.10.2006 को खसरा नम्बर 1303/787 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि रा.प्रा.वि. नाका चुंगी खातौली के नाम दर्ज हुई, दिनांक 28.06.2011 को खसरा न. 1358/787 रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत खातौली के नाम दर्ज हुई, दिनांक 11.01.2013 को खसरा न. 1359/787 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि हाट बाजार खातौली के नाम दर्ज हुई, तथा दिनांक 22.02.2018 को खसरा नम्बर 787 रकबा 2.66 हैक्टेयर भूमि गै.मु आबादी ग्राम पंचायत खातौली के नाम दर्ज हुई।

बिन्दु संख्या (2)– खसरा नम्बर 787/1372 रकबा 8.00 हैक्टेयर भूमि जो वन विभाग के नाम दर्ज है, संलग्न फोटो प्रति नक्शा ट्रेस जारी दिनांक 12.04.2016 अनुसार एवं सेग्रीगेशन के बाद ऑनलाईन नक्शे में भिन्नता हैं। पूर्व में खसरा नम्बर 787/1372 को खसरा नम्बर 787 के उत्तर दिशा में

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

तरमीम किया हुआ है, जबकि सेग्रीगेशन के बाद ऑनलाईन नक्शे में अन्य स्थान पर तरमीम की हुई है। जिस कारण मौके पर आबादी की बसावट, बस स्टैण्ड, भू अभिलेख भवन, कृषि सेवा केन्द्र, बाजार, दुकाने आदि वन विभाग के खसरा न. 787/1372 में दर्ज हो गये।

बिन्दु संख्या (4),(5),(6),– न्यायालय से सम्बन्धित है।

मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा न. 787 रकबा 11.66 हैक्टेयर, खसरा न. 491 मि. व 464 मि. से बना है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त खसरा न. में से सर्वप्रथम दिनांक 21.12.2000 को वन विभाग के नाम खसरा न. 787/1372 रकबा 8.00 हैक्टैयर दर्ज हुई। संलग्न फोटो प्रति नक्शा ट्रेस जारी दिनांक 12.04.2016 अनुसार खसरा न. 787/1372 रकबा 8.00 हैक्टेयर की तरमीम खसरा न. 787 में उत्तर दिशा मे की गई है, जिसकी रकबा बरारी करने पर रकबा 8.00 हैक्टेयर होता है। सेग्रीगेशन के द्वारा उक्त खसरा न. 787/1372 की तरमीम अन्य जगह कर दिये जाने से कई सरकारी भवन , बस स्टैण्ड, बाजार, दुकानें आदि वन विभाग के खसरा नम्बर की भूमि में दर्शित हो गये है।

अतः खसरा संख्या 787/1372 रकबा 8.00 हैक्टैयर की तरमीम उत्तर दिशा में तथा ख.न. 787 में संलग्न नक्शे अनुसार की जाकर प्रकरण का समाधान किया जा सकता है।

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी क्रम 02 द्वारा पेश किया गया और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया। तथा अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से जवाब पेश किया गया कि हाल खसरा संख्या 787 रकबा 11.66 हैक्टेयर है जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा संख्या 491 मि. एवं 464 मि से बना है जो साबिक खसरा संख्या 464 एवं 491 का रकबा क्रमशः 23 बीघा 3 बीस्वा, एवं 55 बीघा 13 बीस्वा कुल 78 बीघा 16 बीस्वा (13.28 हैक्टेयर) जरिये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति संख्या 7(197) जयपुर दिनांक 21.04.1973 के अनुसार वनखण्ड खातौली के प्रारम्भिक विज्ञप्ति में शामिल किया हुआ है। जिसके अनुसार यह वन भूमि है। (संलग्न– मिलान क्षेत्रफल, विज्ञप्ति) प्रार्थना पत्र की शेष मदें अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण (1) व (2) के जवाब के बाद निम्न बिन्दुओ को निर्णित किया जाना है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

बिन्दु संख्या 01 – आया प्रार्थी इस बाबत् निर्णय करवाने का अधिकारी है कि अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियो द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व नक्शा पूर्वानुसार तरमीम किया जाकर पूर्व में खसरा संख्या 787 व खसरा संख्या 787/1372 के मध्य डली हुई लाईन को राजस्व नक्शे में वापिस डालकर दिनांक 12.04.2016 के राजस्व नक्शे अनुसार ग्राम पंचायत खातौली की भूमि को वन विभाग से पृथक किया जावें तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे।

जिम्मे प्रार्थी

बिन्दु संख्या 02– आया अप्रार्थी ख.न. 787 रकबा 11.66 हैक्टेयर भूमि जिसके पुराने ख0न0 491 मि0 रकबा 23 बीघा 3 बीस्वा व 55 बीघा 13 बीस्वा जरिये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति संख्या 7(197) जयपुर दिनांक 21.04.1973 के अनुसार वन खण्ड, खातौली के प्रारम्भिक विज्ञप्ति मे शामिल किया गया उक्त भूमि वन भूमि है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिम्मे अप्रार्थी

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

उक्त बिन्दु न0 01 को सिद्व करने का भार प्रार्थी पर है प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन मे सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेज पेश किये । पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 02 उप वन संरक्षक वन मण्डल कोटा द्वारा प्रस्तुत नोटिफिकेशन विज्ञप्ति संख्या 7(197) जयपुर दिनांक 21.04.1973 की विज्ञप्ति अनुसार व मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा संख्या 464 रकबा 23 बीघा 3 बीस्वा एवं खसरा संख्या 491 रकबा 55 बीघा 13 बीस्वा कुल 78 बीघा 16 बीस्वा भूमि भी बाद वन बंदोबस्त अधिकारी के निर्णय 10.08.1981 उप वन मण्डल कोटा के अनुसार खसरा संख्या 464 रकबा 23 बीघा 3 बीस्वा कमी वन सीमा से दूर होने तथा ग्राम पंचायत खातौली की आबादी के कारण कमी रकबा दर्ज किया गया तथा खसरा संख्या 491 के रकबे 55 बीघा 13 बीस्वा में से 5 बीघा 13 बीस्वा को कोने–कटान में आ जाने के कारण कमी रकबा दर्ज किया जाकर 50 बीघा भूमि रखी गई।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

...6....

इस प्रकार निर्णय दिनांक 10.08.1981 के अनुसार पूर्व में कुल भूमि 78 बीघा 16 बीस्वा में से 23 बीघा 3 बीस्वा एवं 5 बीघा 13 बीस्वा कुल 28 बीघा 16 बीस्वा कम किया जाकर 50 बीघा भूमि अर्थात 8 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के दर्ज किया गया। जिसका नामान्तरकरण दिनांक 14/12/2000 को दर्ज किया गया जिसकी पुष्टि कार्यालय उपवन संरक्षक कोटा के पत्र क्रमांक 2020/8028 दिनांक 01.10.2020 मे उपवन संरक्षक ने स्वयं स्वीकार कर वन बंदोबस्त अधिकारी के निर्णय 10.08.1981 की पुष्टि की गई।

नायब तहसीलदार खातौली एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वे टीम के दिनांक 17.02.2022 के मौका पर्चा में भी ग्राम पंचायत की भूमि व दुकानें वन सीमा से बाहर बतायी गई है। खसरा संख्या 464 व 491 के नये खसरा नम्बर 787 रकबा 11.66 हैक्टेयर बनाये गये इसमें से खसरा संख्या 787/1372 रकबा 8 हैक्टेयर, भूमि वन विभाग के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, शेष भूमि खसरा संख्या 1358/787 रकबा 3.46 हैक्टेयर, ग्राम पंचायत खातौली के नाम दर्ज की गई जिसमें हाट बाजार, राजीव गॉधी सेवा केन्द्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सी.सी सडक निर्मित किये गये। जिसके बगल में दुकाने निर्मित है जो ग्राम पंचायत की भूमि के पास आबादी भूमि में है जो वन विभाग से अलग है। पूर्व में खसरा संख्या 787/1372 की वन विभाग की भूमि रकबा 8 हैक्टेयर ग्राम पंचायत की भूमि खसरा संख्या 787 के उत्तर दिशा में थी, जिसे दिनांक 12.04.2016 के राजस्व नक्शे में लाईन डालकर अलग–अलग किया हुआ है, लेकिन वर्ष 2016 के बाद सेग्रीग्रेशन का कार्य किया गया और राजस्व व लठठे को सेग्रीग्रेशन शीटों पर अकंन किया गया इस दौरान अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पटवारी व कानूननगो द्वारा सवहन से व त्रुटिवश नक्शा तरमीम गलत किया गया और खसरा संख्या 787 ग्राम पंचायत की भूमि व खसरा संख्या 787/1372 वन विभाग की भूमि के बीच की लाईन को मिटा दिया गया जो गलत किया गया जिससे वन विभाग व ग्राम पंचायत की भूमि एक साथ समाहित नजर आ रही है।

यह बिन्दु सिद्व करने का भार अप्रार्थी क्रम 02 का है अप्रार्थी क्रम 02 ने उक्त बिन्दु के समर्थन मे नोटिफिकेशन विज्ञप्ति संख्या 7(197) जयपुर दिनांक 21.04.1973 पेश किया।

इन दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 21.04.1973 की

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

...7..

विज्ञप्ति प्रारम्भिक विज्ञप्ति है इसके बाद अप्रार्थी ने वन बंदोबस्त अधिकारी का निर्णय दिनांक 10.08.1981 पेश किया तथा न्यायालय सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 31.03.1983 की प्रति पेश की जिसके अनुसार अन्तिम विज्ञप्ति में खसरा संख्या 464 रकबा 23 बीघा 31 बीस्वा वन सीमा से दूर होने व ग्राम पंचायत की आबादी बसी होने से कमी रकबा किया गया तथा 491 में रकबे 55 बीघा 13 बीस्वा में से 5 बीघा 13 बीस्वा को कोने कटान में आ जाने के कारण कमी रकबा दर्ज किया गया इस प्रकार वर्तमान में वन विभाग के खसरा संख्या 787/1372 रकबा 8.00 हैक्टेयर भूमि ही बची हे इसलिये यह बिन्दु अप्रार्थी क्रम 02 साबित करने में असफल रहा तथा प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

वन विभाग के द्वारा अपने जवाब मे 13.28 हैक्टेयर भूमि की मांग की है जबकि वर्तमान में विवाद केवल तरमीम का है , उक्त प्रकरण में केवल यह निर्णित करना है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वन विभाग के नाम दर्ज रकबा मौके एवं पुराने राजस्व नक्शे के अनुसार सही है अथवा नहीं । यदि वन विभाग वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड से अधिक रकबा क्लेम करता है तो वन विभाग को पृथक से 88,89 आर.टी.एक्ट मे चाराजोई करनी चाहिये साथ ही यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वन विभाग के रकबे में कमी वन बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.1981 एवं 31.03.1983 मे कर दी थी तब वन विभाग को वन बन्दोस्त अधिकारी के निर्णय के विरूद्व अपील करनी चाहिये थी।

इस प्रकरण में वन विभाग अथवा अन्य पक्षकारों के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में कमी–बेसी नही की जानी है केवल नक्शे की सही तरमीम की जानी है ताकि मौके पर मौजूद सरकारी संस्थाओं व आबादी को आवंटित भूमि के मध्य विवाद का हल किया जा सके।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट मे प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त प्रकरण एल.आर.एक्ट की धारा 128,129 एवं 136 तथा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व (भू: अभिलेख) नियम 1957 की (धारा 369 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रूल्स सबडिविजनल अधिकारी कलेक्टर के अधीन रहते हुये नक्शा तथा अभिलेख सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है उसे अधिकार है कि उसके समक्ष रखे गये विवाद ग्रस्त नामान्तरणों व स्थानान्तरणों मे परिवर्तन की आज्ञा दे सके जिसमे गॉव के

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला कोटा

...8..

नक्शों तथा अभिलेखों का निरीक्षण सीमा तथा पैमाईश के चिह्नों का संधारण शामिल है।) में भी कवर होता है जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धि का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। अतः मुताबिक जवाब सरकार तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजी , साक्ष्यों से सहमत होकर में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार कर तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व नक्शा पूर्वानुसार तरमीम किया जावे पूर्व में खसरा संख्या 787 व खसरा संख्या 787/1372 के मध्य डली हुई लाईन को राजस्व नक्शे में वापस डालकर दिनांक 12.04.2016 के राजस्व नक्शे के अनुसार ग्राम पंचायत खातौली की भूमि को वन विभाग से पृथक किया जावें तद्नुसार राजस्व, रिकॉर्ड व नक्शा दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावे। आदेश की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा
अंजना सहरावत